अनुबंधः 1

छूटों के उद्देश्य और धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के पंजीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

अधिनियम की धारा	वर्णन
धारा 2(15)	धर्मार्थ उद्देश्य में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और स्मारकों या स्थानों या कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक हित का संरक्षण, जलसंभर, वनों और वन्य जीव सहित पर्यावरण का संरक्षण, और जन उपयोगिता के किसी दूसरे उद्देश्य की सह प्रगति शामिल है यदि ध्येय पृथक रूप से चिन्हित विख्यात जन समुदाय का हित है और विशेष देश या प्रान्त में रहने वाली समस्त मानव जाति के हित के उद्देश्यों तक सीमित नहीं है।
धारा 11	यह न्यासों द्वारा धारित सम्पति से प्राप्त की गई आय की छूट, न्यासों द्वारा धारित सम्पति के हस्तांतरण से उद्भूत पूँजीगत लाभ, कतिपय शर्तों के अध्यधीन संग्रह का हिस्सा न बनने वाले स्वैच्छिक योगदानों को डील करता है।
धारा 11(1)(डी)	संग्रह के भाग से बनने वाले स्वैच्छिक योगदान को छूट प्राप्त है।
धारा 12(1)	स्वैच्छिक योगदान जो संग्रह का भाग नही हैं को न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पति से प्राप्त आय माना जाएगा। इस प्रकार यह सूचित किया जाता है कि संग्रह के भाग से बनने वाले स्वैच्छिक योगदान को छूट प्राप्त है।
धारा 12एए	पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। 01 जून 2007 से लागू वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा सन्निविष्ट धारा 12ए(2) और 12ए(1)(एए) के अनुसार जहां न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन 1 जून 2007 को या उसके बाद किए गए हैं वहां धारा 11 एवं 12 के प्रावधान वि.व. के अनुवर्ती जिसमें ऐसा आवेदन किया गया था, के बाद तत्काल नि.व. से ऐसे न्यासों की आय के संबंध मे लागू होंगे।
धारा 13	धारा 11 के अन्तर्गत कतिपय संव्यवहारों के लिए दी गई छूटों के आहरण के लिए प्रावधान है।
धारा 80जी	विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को किए गए योगदान के लिए उन पर शर्तों के अध्यधीन 100% छूट और सामान्य एवं धर्मार्थ उद्देश्य के प्रति 50% छूट का प्रावधान है।
धारा10(23सी)	विशेष रूप से विशिष्ट उद्दश्य के लिए बनाए गए शैक्षिक संस्थानों और न्यासों को डील करती है। नि.व. 99 तक, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और न की लाभ कि उद्देश्य के लिए मौजूद शिक्षण संस्थानों की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10(22) के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। ऐसे संस्थानों को किसी सत्त्व द्वारा चलाया जा सकता है जैसे वैयक्तिक, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के समूह, फर्मों, कम्पनी और आदि। इन्हें नि.व. 04 तक आय की विवरणियाँ दाखिल करना अनिवार्य

	रूप से अपेक्षित नहीं था। वित्त बिल 1998 में प्रावधानों को मान्यता दी गई है कि धारा 10(22) को इन संस्थानों के कार्यकलापों की वास्तविक जांच हेतु किसी भी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति में दुरूपयोग को व्यापक रूप से सूचित किया जाना था और इसलिए धारा के इस खण्ड को छोड़ दिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि शैक्षिक संस्थान जो धर्मार्थ स्वरूप के हैं लेकिन उन्हें न्यासों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है वे धर्मार्थ न्यासों को लागू कतिपत शर्तों सहित अब आय की छूट का दावा कर सकते हैं। 01 अप्रैल 1999 से निम्नलिखित कर विधियों के अधिनियम बनाए गए।
धारा 10(23सी) (iiiएबी)	एक शैक्षिक संस्थान केवल मौजूदा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और न कि लाभ के उद्देश्य से तथा जिन्हें सरकार द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है को कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है।
धारा 10 (23सी) (iiiएडी)	एक शैक्षिक संस्थान केवल मौजूदा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और न कि लाभ के उद्देश्यों, के लिए जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियाँ ₹ 1 करोड़ से अधिक नहीं थी, को छूट थी।
धारा 10(23सी) (iv)	सम्पूर्ण भारत या सम्पूर्ण किसी भी राज्य में संस्थानों के उद्देश्यों या महत्व को ध्यान में रखते हुए हेतु धर्मार्थ उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया एक संस्थान।
धारा 10(23सी) (v)	कोई भी न्यास जो पूर्णतः सार्वजनिक धार्मिक उद्देश्यों या सार्वजनिक धर्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्य हेतु है, जिनकी उपचित आय उन पर उन उद्देश्यों के लिए उचित रूप से लागू है।
धारा 10(23सी) (vi)	एक शैक्षिक संस्थान मात्र विद्यमान शैक्षिक उद्देश्यों के लिए और ₹ 1 करोड़ से अधिक की वास्तविक प्राप्तियों वाले लाभ के प्रयोजनों के लिए नहीं है, वह तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक अवधि के लिए निर्धारित आयकर प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छूट का दावा कर सकता है धारा 10(23सी)(iiiएसी)(iiiएई)(viए) के अन्तर्गत अधिनियम में कतिपय शर्त के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्थापित अस्पतालों के संबंध में छूट के लिए प्रावधान है।

अनुबंधः 2

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकरण हेतु प्राधिकरण तथा पंजीकरण के लिए नियमावली

संस्थान	नियम	अधिनियम की धारा	प्राधिकरण
सार्वजनिक धार्मिक/धर्मार्थ न्यास	2सी(1)	10(23सी)(iv) एवं (v)	सीसीआईटी/महानिदेशक-ई
धारा 10(23)(iiiएबी)(एडी) के अन्तर्गत आने वाले के अलावा शैक्षिक संस्थान	2सीए	10(23सी)(vi) एवं (viए)	मुख्य आयुक्त आयकर/महानिदेशक-ई
क्र सं. (1) एवं (2) के अलावा अन्य धर्मार्थ न्यास		12एए	आयुक्त अथवा डीआईटी-ई
विश्वविद्यालय क. गैर तकनीकी संस्थान ख. तकनीकी संस्थान	18एएए	80जी(2)(ए)(iii)	क. सचिव, यूजीसी की सहमति से सीसीआईटी-ई ख. सचिव, एआईसीटीई की सहमति से डीजीआईटी-ई
सभी अन्य संस्थान	11एए	80जी(2डी)(iv)	डीआईटी-ई /सीआईटी